न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—224/2019(जीसीएमएस नं. 2019/00118)

1. रोहिताश,
2. विनोद,
3. सतवीर,
4. संजय,
5. राजपाल, पुत्रान ताराचन्द,
6. मुन्नी पुत्री तारारचन्द,
7. किताब कौर पत्नी ताराचन्द, जाति जाट, निवासी ग्राम उधमपुर(सेहीकलां) तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. **श्री हेमन्त दीक्षित, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 17.10.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आज्ञा जैर अपील विधि—विधान, पत्रावली एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है अपीलार्थीगण की विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1, 28, 86, 88 एवं 93 के काबिज खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2016 पारित किया है जो पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार विहिन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2016 पारित करने से पूर्व इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई ध्यान नही दिया कि नया रास्ता दर्ज करने का धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहसीलदार को एवं धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उपखण्ड अधिकारी को अधिकार

P.T.O.

केवल सभी सहखातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने पर अधिकार प्राप्त है अन्यथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आज्ञा अपील सरासर कानून के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नाजायज व गैरकानूनी रूप से अपीलान्ट की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि खसरा नम्बर 93 में से रास्ते के लिये 0.1335 हैक्टयर भूमि बिना साक्ष्य, बिन सुनवाई का अवसर प्रदान किये व खातेदारान की खातेदारी में रखते हुये गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर अमल दरामद करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.11.2016 नाजायज व गैर कानूनी रूप से प्रदान किया है जो कि खिलाफ कानून व विरूद्ध पत्रावली होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 03.09.2019 को जब मौके पर विपक्षीगण ने आकर अपीलान्ट को यह कहा कि हमने खसरा नम्बर 93 में से 0.1335 हैक्टयर में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दिनांक 21.11.2016 को ही दर्ज करा लिया है तथा हम तुम्हारी फसल उथल देंगे तथा नया रास्ता कायम करा लेंगे जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 05.09.2019 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त आदेश की जानकारी हेतु उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के न्यायालय में कार्यवाही की तब अपीलाधीन आदेश के बारे में पता चला तथा अपीलान्ट ने वही से दिनांक 05.09.2019 को उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के निर्णय दिनांक 21.11.2016 की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 13.09.2019 को अपीलान्ट को मिली इस प्रकार अपील पेश करने में हुआ विलम्ब जानबुझकर व लापरवाहीवश नही बल्कि सद्भावावश एकपक्षीय आदेश होने से हुआ है जो विलम्ब न्यायहित में क्षमा योग्य हैं तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फ़रमाया जावें एवं अपील के तथ्यों के मद्देनज़र अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2016 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये रिकार्ड एवं मौके की सही वस्तुस्थिति का अध्ययन व अवलोकन करते हुये न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार निर्णित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि जिला कलक्टर झुन्झुनू के पत्र दिनांक 26.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में चालू रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही हेतु तहसीलदार सूरजगढ से रास्ते के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई क्योंकि उक्त रास्ता बारहमासी प्रचलित रास्ता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1, 28, 86, 88 एवं 93 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार ने अपीलार्थीगण को बिना सुने ही आराजी खसरा नम्बर 93 में रास्ते के लिऐ 0.1335 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनू को भिजवाये गये है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थीगण को बिना साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलार्थीगण/खातेदारान की खातेदारी में रखते हुये उक्त भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अमल दरामद करने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2016 पारित किये गये है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उक्त अपीलाधीन आदेश को विधि सम्मत नही ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2016 को अपीलार्थी की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।